उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H41305 सी-6/- ओ०- 511/O.A.N. 511/2019 Dated 16-9-19

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Submission of Compliance report of order dated 05.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 511/2019 Akriti Pandey Vs. State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. Compliance report of order dated 05.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in OA no. 511/2019 regarding ill-legal construction in the high flood level of Varuna river is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

13/9/2019
(S.B. Singh)
Chief Environmental Officer
Circle-6

Copy to:

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-GB Nagar, 201301 for information and further necessary action.

13/9/2019
Chief Environmental Officer
Circle-6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Compliance report of order dated 05.08.2019 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 511/2019 Akriti Pandey Vs. State of Uttar Pradesh:

The relevant portion of the Hon'ble NGT, New Delhi order in OA no. 511/2019 dated 05.08.2019 is as follows:-

"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against illegal construction in the flood plain of river Varuna in District Varanasi.

Let the State Pollution Control Board (SPCB) and the District Magistrate, Varanashi look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a joint factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicialngt@gov.in. The nodal agency will be the SPCB for coordination and compliance......"

1. That in compliance of order dated 05-08-2019, a request letter was sent to District Magistrate, Varanasi for joint inspection regarding complaint of Akriti Pandey Vs. State of Uttar Pradesh. The copy of the said letter is Annexed as Annxure-01.
2. That the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi requested Additional District Magistrate, Varanasi for nominating a competent revenue officer for site inspection. The copy of the said letter is Annexed as Annxure-02.
3. That in compliance of order dated 05-08-2019, joint inspection of the complaint site was made by officials of District Administration, Irrigation Department and Uttar Pradesh Pollution Control Board on dated 05-09-2019. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi sent joint inspection report to Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow vide letter no 1948/NGT/19-20 dated 09-09-2019. The copy of the said inspection report dated 05-09-2019 is Annexed as Annxure-03.
4. That as per joint inspection report dated-05-09-2019, araji no-174mi, village-Kurauna alias Rameshwar, pargna-Kaswar raja, Teshil-RajaTalab, District- Varanasi as per revenue record/Khatauni is mentioned in the name of Tourism Centre,Uttar Pradesh.

EE C-6 CEO, C-6

5. That as per joint inspection report dated-05-09-2019, in araji no 174mi village-Kurauna alias Rameshwar, pargna-Kaswar raja, Teshil-RajaTalab, District-Varanasi there is no natural drain/nala.
6. That as per joint inspection report dated-05-09-2019, pucca construction which is being made by UP Tourism Department as mentioned in complaint of Akriti Pandey is more than 50 meter away from high flood level (HFL) of Varuna River.

E.E.
C-6

CEO,
C-6

Annexure No-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 4399/39 सी–6/ रा० – 511/O.A.N. 511/2019 **Dated** 9-8-19

ई–मेल द्वारा/अतिमहत्वपूर्ण
माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

विषयः माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या 511/2019 आकृति पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 की छाया प्रति के साथ संलग्न है तथा उक्त आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

".............Let the State Pollution Control Board (SPCB) and the District Magistrate, Varanasi look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a joint factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicialngt@gov.in. The nodal agency will be the SPCB for coordination and compliance............."

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से श्री कालिका सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी को संयुक्त निरीक्षण हेतु नामित किया जाता है। श्री कालिका सिंह का दूरभाष संख्या–7839891940 है। कृपया अपनी तरफ से किसी प्रशासनिक अधिकारी को नामित करना चाहें, जिससे आदेश में वर्णित प्रकरण का निरीक्षण कराकर एक्शन टेकन रिपोर्ट ससमय माननीय अधिकरण में दायर किया जा सके।

कृपया अग्रेतर अवगत होना चाहें कि प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई दिनांक 18.11.2019 को नियत है।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी, वाराणसी से समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण कराकर आख्या ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Annexure No-2

6910/2
09-09-19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

(गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्तरविदास नगर [भदोही])

SD

संदर्भ सं0 1745/ एन.जी.टी./19-20 दिनांक 20-8-19
Ref. .... Date...........................

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 04-9-19
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर ....
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

शीर्ष प्राथमिकता
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल)/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय),
कलेक्ट्रेट, वाराणसी।

विषयः मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल वेंच, नई दिल्ली में योजित ओ0एम0 नं0–511/2019 'आकृति पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य' में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी के पत्र संख्या–4652/एस0टी0–कैम्प–2019 दिनांक 07.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें (प्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उपरोक्त प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आख्या की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश से सम्बन्धित है तथा समयबद्ध एवं अति महत्वपूर्ण है। उक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय के आदेश का त्वरित निस्तारण करने एवं प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु स्थल का निरीक्षण किया जाना है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि स्थल निरीक्षण हेतु स्थानीय सक्षम राजस्व अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें, जिससे कि नामित अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये समय से स्थल निरीक्षण आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

Ind/NGT 11/9/19

EE/SA 11/9/19 CEO

SA/TC

भवदीय

12/9/19

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्पलेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी - 221010, दूरभाष : 0542-2275951, फैक्स : 0542-2275951
मुख्यालय : T.C. 12 V., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010, दूरभाष : 0522-2720828, 2720681, 2720691, 2720831
फैक्स : 0522-2720764 ई-मेल : info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com E/VaranasiPCBoffice folder/T.N. Singh/ letter-TN

Annexure No-3

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 511/2019 आकृति पाण्डेय बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में कृत कार्यवाही सम्बंधी आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 511/2019 आकृति पाण्डेय बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में वादी द्वारा दाखिल आवेदन में की गयी **प्रार्थना** एवं मा० अधिकरण द्वारा पारित **आदेश दिनांक 05.08.2019** क्रमशः निम्नवत् हैं–

प्रार्थना

"आराजी संख्या 174 रकवा 3 एकड़ 80 डिसमिल भूमि वरूणा नदी के तट से 50 मीटर के दायरे में होने वाले पक्का निर्माण तथा बरसाती पानी के निकास के बहाव के मार्ग नाला को बन्द करने से रोका जावे, ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके एवं माननीय पंचाट के आदेश की अवमानना को तत्काल रोका जा सके"

आदेश

"State Pollution Control Board (SPCB) and the District Magistrate, Varanasi look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a joint factual and action taken report in the matter within one month"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, वाराणसी के प्रतिनिधि के रूप में श्री मनोज कुमार पाठक, तहसीलदार, राजातालाब, वाराणसी, सदस्य सचिव, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी श्री कालिका सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी एवं हाई फ्लड लेवल (एच.एफ.एल.) निर्धारण हेतु श्री वी०के० कुशवाहा, अधिशाषी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग, वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.09.2019 को सम्पादित स्थल निरीक्षण एवं तहसीलदार, राजातालाब, वाराणसी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार :–

1. ग्राम कुरौना उर्फ रामेश्वर, परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी की आराजी नं० मि174 रकबा 1.609 हे० में राजस्व अभिलेख/खतौनी में टूरिज्म सेन्टर उ० प्र० के नाम से दर्ज है। **(छाया प्रति संलग्न–1)**।
2. राजस्व विभाग के आंकड़े के अनुसार आराजी नं० मि174 रकबा 1.609 हे० में कोई प्राकृतिक नाला नही है **(छाया प्रति संलग्न–2)**।
3. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग, वाराणसी के पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2019 के अनुसार पर्यटन विभाग, उ० प्र० द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य वरूणा नदी के हाई फ्लड लेवल (एच.एफ.एल.) लाईन से 50 मीटर से अधिक दूर है **(छाया प्रति संलग्न–3)**।

उपरोक्त आख्या एवं कृत कार्यवाही समस्त संलग्नकों सहित अनुपालनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी

(सुरेन्द्र सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
वाराणसी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–511/2019 आकृति पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 की अनुपालन आख्या

वादी अखिल भारतीय बनवासी सेवा न्यास पंजीकृत कार्यालय ग्राम व पोस्ट–रामेश्वर तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी बजरिये कु0 आकृति पाण्डेय ओ0एस0डी0 अखिल भारतीय बनवासी सेवा न्यास बनाम उ0प्र0 सरकार बजरिये जिलाधिकारी, वाराणसी आदि में कु0 आकृति पाण्डेय द्वारा मा0 अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित पंचाट को दाखिल अपने आवेदन में यह प्रार्थना किया है कि

प्रार्थना

"अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आराजी सं0 174 रकबा 3 एकड़ 80 डिसमिल भूमि वरूणा नदी के तट से 50 मीटर के दायरे में होने वाले पक्का निर्माण तथा बरसाती पानी के निकास के बहाव के मार्ग नाला को बन्द करने से रोका जावे, ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके एवं माननीय पंचाट के आदेश की अवमानना को तत्काल रोका जा सके।"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–511/2019 में दिनांक 05.08.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया है–

"State Pollution Control Board (SPCB) and the district magistrate Varanasi look into the matter; take appropriate action in accordance with law and furnish a joint factual and action taken report in the matter within one month"

उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.09.2019 को अभिलेखीय एवं भौतिक सत्यापन तहसीलदार राजातालाब मनोज कुमार पाठक, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0पो0क0 बोर्ड, वाराणसी कालिका सिंह एवं अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, वी0के0 कुशवाहा एवं टी0एन0 सिंह सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तहसील राजातालाब के राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम कुरौना उर्फ रामेश्वर परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी की आ0नं0 मि174 रकबा 1.609हे0 राजस्व अभिलेख/खतौनी में टूरिज्म सेन्टर उ0प्र0 के नाम से दर्ज है। (खतौनी की छायाप्रति, संलग्न 1) जिस पर पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा पर्यटन के विकास हेतु नवनिर्माण कराया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी को प्रेषित पत्र सं0–1023/ब0प्र0वा0/कला अनु0/एन0जी0टी0 दिनांक 08 जुलाई, 2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य वरूणा नदी के एच0एफ0एल0 लाईन से 50 मीटर से अधिक की दूरी पर है। (पत्र संलग्न, संलग्न 2) राजस्व विभाग के आंकड़े के अनुसार आ0नं0 मि174 रकबा 1.609हे0 कोई प्राकृतिक नाला नहीं है, राजस्व मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक 3)

05/09/19 (Dr. T.N. Singh) A.S.O. UPPCB VNS | 05/9/19 मनोज पाठक तहसीलदार राजातालाब | 05/9/19 (KALIKA SINGH) R.O. UPPCB VNS | 05/09/19 Executive Engineer Bandhi Div. Irrigation Dept. | SDM(R)

संलग्नक – (1)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 20908320190913

ग्राम क्रमांक : 209083   ग्राम का नाम / परगना : कुरौना उर्फ रामेश्वर(कसवार राजा)   तहसील : राजा तालाब   जनपद : वाराणसी   फसली वर्ष : 1426-1431   भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----------------------2-----------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।							
00392	जमीन शिकस्ता / /		174मिख्	1.6090		कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी केपत्रांक सं0-3992सात/-भू0स्/2017 दिनांक 10.9.2017 के अनुपालन मे शासनादेश सं068/3-2(6)/79 रा0-1दिनांक 01.07.1983 एवं अद्यतन शासनादेश 985/एक-1/2011 /12(23)/2006 -141 दिनांक 30.08.2011 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ0प्र0राजस्व संहिता 2016 की धारा 59(4) ग एवं नियमावली के नियम 55 के द्वारा प्राप्त शक्तियो का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना सं0258/रा0-1-16 (1) -73 दिनांक 05.03.1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मै योगेश्वर राम मिश्र जिलाधिकारी वाराणसी अधोलिखित अनूसूची मे उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूचि के स्तम्भ 6मे उल्लिखित गांव सभा मे निहित थी फिर से अपने अधिकार मे लेता हूं तदुपरांत अनुसूची के क्रम सं07/8 के आराजी पर्यटन विभाग को हस्तगत कराया जाय । मौजा कुरौना उर्फ रामेश्वर पर0क0राजा तह0राजातालाब जिला वाराणसी के गाटा सं0मि0174 रकबा 1.609हे0 शिकस्त-6(4) व गाटा सं0600 रकबा 0.287हे0 नवीन परती5(1)टूरिज्म सेण्टर की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहित की जा रही है।	
			1	1.6090	0.00	1	0

कुल गाटे- एक   कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव छ: शून्य नौ शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAM SURAT PRASAD

सक्षम अधिकारी: SUNIL KUMAR
तहसील: राजा तालाब जनपद: वाराणसी
दिनांक एवं समय: 07-09-2019 03:33:50

9/7/2019, 3:33 PM

संलग्नक-(3)

प्रेषकः-

अधिशासी अभियन्ता,
बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

पत्रांकः-1023/ब0प्र0वा0/कला अनु0/एन0जी0टी0/ दिनांक- 08, जुलाई-2019

विषयः-सुश्री आकृति पाण्डेय, ओ0एस0डी0, अखिल भारतीय वनवासी सेवा न्यास, ग्राम व पोस्ट-रामेश्वर, तहसील राजातालाब, वाराणसी के प्रकरण में मा0 न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 सिंह, अध्यक्ष, यू0पी0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता में दिनांक-24.06.2019 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में आख्या।

सन्दर्भः-आपका पत्रांक-349/एल0बी0सी0-2019, दिनांक-01.07.2019।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके मौखिक निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-25.06.2019 को उपजिलाधिकारी, राजातालाब तथा पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल, वाराणसी के पत्रांक-4130/प0के0वा0-योजना/19, दिनांक-16.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपको प्रेषित स्थानीय लेखपाल के दिनांक-16.03.2019 की आख्या (नजरी नक्शा) को सही पाया गया। प्रश्नगत निर्माण स्थल वरूणा नदी के एच0एफ0एल0 लाईन से 50 मीटर से अधिक की दूरी पर है।

आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

08/07/19
ह0/ (वी0 के0 कुशवाहा)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः-1023/ब0प्र0वा0/कला अनु0/एन0जी0टी0/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

08/07/19
ह0/ (वी0 के0 कुशवाहा)
अधिशासी अभियन्ता

08/07/19

Scanned by CamScanner

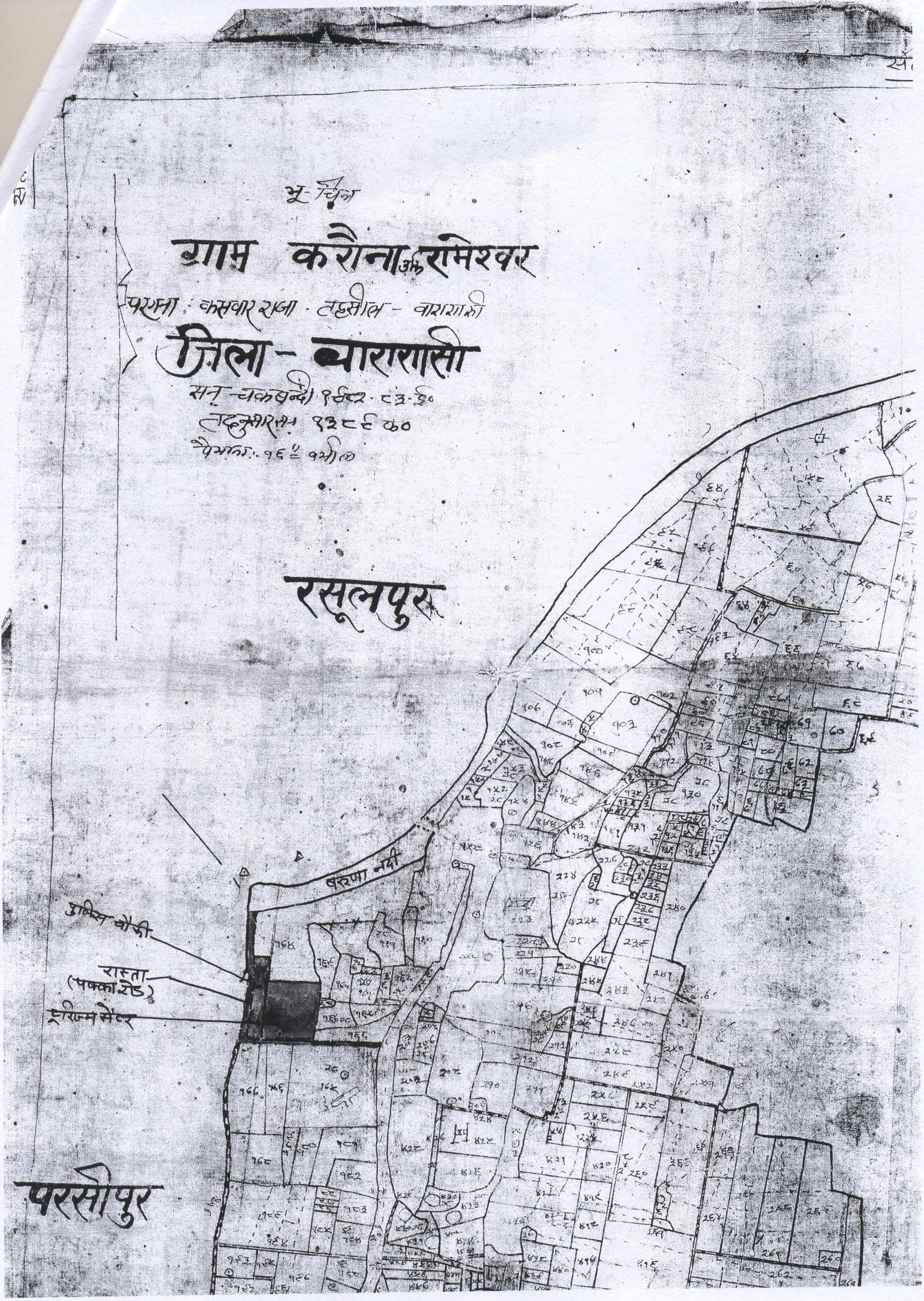
भू-चित्र
ग्राम करौना उर्फ रामेश्वर
परगना कसवार राजा तहसील - वाराणसी
जिला - वाराणसी
सन् चकबन्दी १९८२-८३ ई०
तदनुसार सन् १३८९ फ०
पैमाना १६" = १ मील
रसूलपुर
वरुणा नदी
पुलिस चौकी
रास्ता (पक्का रोड)
टूरिज्म सेंटर
परसीपुर

ATUL